न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश–V, वैशाली, हाजीपुर।

A.B.P. No.- 1150/2026

राघोपुर थाना कांड सं0–129/2026

	1. दिलीप कुमार राय, पिता–देवी राय, **2. पंकज कुमार, पिता–देवी राय,** **3. देवी राय, पिता–स्व0 हरकिशुन राय,** **4. सत्यम कुमार, पिता–दिलीप राय,** **5. प्रियंका कुमारी, पिता–पंकज कुमार,** **6. आशा देवी, पति–दिलीप राय,** **7. लालपरी देवी, पति–देवी राय,** **सभी निवासी ग्राम–लिटियाही, थाना–राघोपुर (रूस्तमपुर ओ.पी)** **जिला–वैशाली।** ..... **आवेदकगण** **बनाम** **बिहार सरकार** ..... **विपक्षी**	
06.06.2026	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन उपरोक्त अभियुक्तगण की ओर से राघोपुर थाना कांड सं0–129/2026, दिनांक–04.04.2026 अन्तर्गत धारा–126(2)/ 115(2)/ 118/ 110/351(2)/351(4) सपठित 3(5) भा0न्या0सं0 में गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति अपर लोक अभियोजक को प्रदान किया गया। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी बिहार सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अभियोजन कहानी का सारांश सूचक राजेश राय के टंकित आवेदन के अनुसार यह है कि ''दिनांक–28.03.2026 को करीब 07:30 बजे सुबह में मेरे पट्टीदार दिलीप कुमार राय, पंकज कुमार, देवी राय, सत्यम कुमार, प्रियंका कुमारी, आशा देवी, लालपरी देवी सभी एक राय एवं विचार कर मेरे बथान का हरा–भरा पेड़ काट रहे थें और जब मैंने मना किया तो उपरोक्त सभी लोग गाली–गलौज करने लगें। दिलीप राय अपने हाथ में लिए तेज धारदार लोहे का दाब से मेरे सर पर जान मारने की नियत से चलाया तो मेरा सर कट गया तथा खून बहने लगा फिर दोबारा जान मारने की नियत से पंकज कुमार अपने हाथ में लिए तेज धारदार तलवार से सर पर जान मारने की नियत से चलाया तो दूसरी तरफ कट गया और खून बहने लगा और मैं जमीन पर गिर गया तथा गिरने के बाद देवी राय मेरे गर्दन से सोने का बजरंगबली तीस हजार रुपए का खींच लिया। मेरे पिताजी सीताराम राय, माताजी रेणु देवी, भाई राजा राय जब मुझे बचाने आये तो उपरोक्त सभी लोग इन लोगों पर भी जानलेवा हमला किया और बुरी तरह घायल कर दिया।'' आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण के द्वारा इस वाद में इसके पूर्व कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय में या अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। इस वाद के अतिरिक्त आवेदकगण का पूर्व से अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि आवेदकगण को इस कांड में झूठा नामित किया गया है। वास्तव में सूचक राघोपुर थाना कांड सं0–130/2026 से बचने के लिए यह झूठा मनगढंत वाद आवेदकगण के विरूद्ध दर्ज कराया है। दोनों पक्ष आपस में पट्टीदार हैं तथा उनके बीच पूर्व से जमीनी विवाद होने के कारण सूचक द्वारा आवेदकगण को जानबूझकर इस झूठे वाद में फंसाया गया है। आवेदकगण समाज में कानूनबद्ध नागरिक हैं तथा आवेदक अभियुक्तगण को भविष्य में पुलिस द्वारा पकड़ाए जाने की आशंका है इसलिए वे न्यायालय के संतुष्टि के अनुरूप उचित जमानतदार देने के लिए तैयार हैं। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा	

Web Copy Not Official

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश–V, वैशाली, हाजीपुर।

A.B.P. No.- 1150/2026

राघोपुर थाना कांड सं0–129/2026

06.06.2026 **लगातार....**	का लाभ दिया जाय। विपक्षी बिहार सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गई। उभय पक्षों को सुना। मूल अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 126(2)/ 115(2)/ 118/ 110/351(2)/351(4) सपठित 3(5) भा0न्या0सं0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। कांड दैनिकी के पारा–02 में वादी का पुनः बयान है, पारा–03 में जख्मी साक्षी सीताराम राय का बयान दर्ज है, पारा–06 में घटनास्थल का वर्णन है तथा पारा–07, 08 एवं 09 में स्वतंत्र साक्षी क्रमशः मोहन कुमार, प्रमोद राय एवं सुनील राय का बयान दर्ज है, जिन्होंने सूचक के साथ मारपीट का समर्थन किया है, परंतु सोने का बजरंगबली लेने की बात से इंकार किया है तथा उन्होंने कहा है कि घटना को गंभीर बनाने के उद्देश्य से कांड में जानबूझकर इसे अंकित कराया गया है। पारा–35 में आवेदकगण दिलीप कुमार राय, प्रियंका कुमारी एवं पंकज कुमार के आपराधिक इतिहास से संबंधित टिप्पणी अंकित है, जिसके अनुसार उनके विरूद्ध पूर्व से अन्य कोई कांड दर्ज नहीं पाया गया है। कांड दैनिकी के साथ अलग से जख्मियों का जख्म प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें जख्मी राजेश राय तथा सीताराम राय के जख्म की प्रकृति साधारण पाई गई है। प्रस्तुत वाद में आवेदक सं0–03 देवी राय, आवेदक सं0–04 सत्यम कुमार, आवेदक सं0–06 आशा देवी एवं आवेदक सं0–07 लालपरी देवी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त अग्रिम जमानत आवेदन में से अपना नाम वापस लेने हेतु एक आवेदन दिया गया है तथा उन्होंने कहा है कि उक्त आवेदकगण को अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा निर्दोष पाया गया है तथा वे अब अग्रिम जमानत हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं कराना चाहते हैं। बिहार सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक के द्वारा उक्त आवेदन का विरोध नहीं किया गया है तथा अभिलेख के अवलोकनोपरांत उक्त आवेदकगण सं0–03, 04, 06 एवं 07 का नाम इस अग्रिम जमानत आवेदन से वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है। अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा वाद की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण सं0–01, 02 एवं 05 को अग्रिम जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण को एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में 10000/– रूपये की समान राशि के दो प्रतिभूओं के जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा–482(2) भा0ना0सु0सं0 की शर्तों के अधीन विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजे। **लेखापित,** **(मौसमी सिंह)** **अपर सत्र न्यायाधीश–V**	

Web copy not official

Date of Order:-06.06.2026
Date of Reserving Order:-26.05.2026
Uploading Date:-06.06.2026
Uploaded by:-Stenographer